प्रेस नोट दिनाँक-07.10.2021

(1). आज दिनाँक 07.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फिरयादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्विरत निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामींण क्षेत्रों से आने वाले फिरयादियों को बताया गया कि आप अपनी शिकायत जनसुनवाई आपके द्वार के तहत मो0नं0 8810747614 पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते है, आप लोगों को दूर दराज से यहां तक नहीं आना पडेगा, आपकी शिकायत वीडियो कॉलिंग पर ही सुन ली जायेगी तथा निस्तारण कराया जायेगा, जिससे आप लोगों को समय की तथा आर्थिक बचत होगी।

इस दौरान महोदय द्वारा जनसुनवाई आपके द्वार के तहत वीडियो कॉलिंग से प्राप्त शिकायतों को भी सुना गया एवं उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री अवधेश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अवधेश कुमार शुक्ला तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम सगवारा से ट्रैक्टर सोनालीका DL 740 मय ट्राली अवैध चोरी की बालू लदी हुई बरामद किया गया। ट्रैक्टर चालक व ट्रैक्टर मालिक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गये। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 192/2021 धारा 379/411 भादवि0 ¾ लो0स0 क्षति निवारण अधिनियम व 04/21 खान एवं खनिज अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

ट्रैक्टर सोनालीका DL 740 मय ट्राली अवैध चोरी की बालू लदी हुई

बरामदगी करने वाली टीम:-

- 1. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार शुक्ला थाना राजापुर
- 2. आरक्षी अखिलेश कुमार
- (3). आज दिनाँक-07.10.20221 को राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय व समस्त क्षेत्राधिकारी की उपस्थिति में जनपद के व्यापारी बंधुओं, शराब ठेकेदार, ट्रक एसोसिएशन, पेट्रोल पम्प मालिकों के साथ नवरात्रि, दशहरा, दीपावली व आगामी त्यौहार एवं व्यवसायिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के दृष्टिगत गोष्ठी आहूत की गयी। गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त व्यापारीबंधुओं से उनकी समस्यायें/सुझाव पूछे गये। व्यापारीबंधुओं द्वारा बतायी गयी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु आश्वासन दिया गया।

गोष्ठी में क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम व्यापार मण्डल के पदाधिकारी एवं व्यापारीबंधु उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में गुमशुदा/अपहृत की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में उ0िन0 श्री तथा उनकी टीम द्वारा जनवरी 2020 से गुमशुदा कृष्ण कुमार पुत्र लाला भाई निवासी कोरारी मजरा गौड़ा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

बरामदगी करने वाली टीम:-

- 1. उ0नि0 श्री नईम थाना भरतकूप
- 2. आरक्षी वकील

3. आरक्षी प्रदुम्य दुबे

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में उ0िनि0 श्री मजीद खां तथा उनके हमराही द्वारा मु॰नं॰ 967/18 धारा 03 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधि0 के वारण्टी अभियुक्त रामचिरत पुत्र सूरजपाल निवासी भरैयापुरवा मजरा भैंसोंधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1. उ0नि0 श्री मजीद खां थाना भरतकूप
- 2. आरक्षी प्रदुम्न दुबे
- (6). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 07.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बस स्टैंड बाजार मऊ का भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम भगवतपुर, कोलौंहा, भवानीपुर मे भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा कस्बा मारकुण्डी व पर्यटक स्थल शबरी जल प्रपात में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा कस्बा बरगढ़ में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। एण्टी रोमियों टीम की महिला आरिक्षयों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व 30प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

भ्रमण के दौरान महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानो में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वारण्टी व 1 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
(क). उ0िन0 श्री शिवपूजन यादव थाना रैपुरा तथा उनके हमराही द्वारा एसटी नं0 123/15 धारा
147/323/325/504/506/308 भादवि के वारण्टी अभियुक्त गौशी शंकर पाण्डेय पुत्र शिवमोहन पाण्डेय निवासी बांधी थाना
रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1. उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव थाना रैपुरा
- 2. आरक्षी सुरेन्द्र

(ख). 30नि0 श्री बल्देव सिंह थाना मानिकपुर एवं उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 111/21 धारा 379/411 आईपीसी व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम व 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के वांछित अभियुक्त सिच्चदानंद उर्फ पप्पू पुत्र भैयालाल निवासी रामपुर थाना मानिकपुर चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1. उ0नि0 श्री बलदेव सिंह थाना मानिकपुर
- 2. आरक्षी मुकेश कुमार